12–मत्स्य विभाग

संवर्ग : मत्स्य निरीक्षक व ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक

उत्तराखण्ड मत्स्य निरीक्षक एसोसिएशन द्वारा यह मांग की गई कि मत्स्य विभाग में सृजित वर्ग–2 एवं वर्ग–1 के अंतर्गत मत्स्य निरीक्षक व ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक को क्रमशः वर्तमान में मिल रहे ग्रेड पे रू0 2800 से ग्रेड पे 4200 तथा ग्रेड पे रू0 4200 से ग्रेड पे रू0 4600 किया जाय।

मत्स्य विभाग के अंतर्गत अधीनस्थ सेवा वर्ग–2 मत्स्य निरीक्षक का वेतन बैण्ड रू0 5200–20200 ग्रेड पे 2800 है तथा इसके 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयन के माध्यम से नियुक्त होते हैं। इनकी शैक्षिक योग्यता बी0एफ0एस0सी0 अथवा बी0एस0सी0 (वनस्पति, जन्तु एवं रसायन विज्ञान) है। अपनी मांग के तर्क में इन्होंने निम्न संवर्गों से तुलना की है जिनको ग्रेड वेतन 4200 उच्चीकृत किया गया है।

पदनाम	वेतनमान	भर्ती का स्रोत	शैक्षिक योग्यता
सहायक कृषि अधिकारी (वर्ग–2)	रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4200	सीधी भर्ती	कृषि स्नातक
पशुधन प्रसार अधिकारी	रू0 9300–34800 रू0 4200	सीधी भर्ती	बी0एस0सी0
पूर्ति निरीक्षक	रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4200	सीधी भर्ती	स्नातक
विपणन निरीक्षक	रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4200	सीधी भर्ती	स्नातक
बाट माप निरीक्षक	रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4200	सीधी भर्ती	स्नातक
सहायक सांख्यिकी अधिकारी	रू0 9300–34800 ग्रेड पे 4200	सीधी भर्ती	स्नातक
आबकारी निरीक्षक	रू0 9300–34800 ग्रेड पे 4200	सीधी भर्ती	स्नातक

उपरोक्त तालिका के अनुसार अपनी मांग के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि अन्य संवर्ग में वर्ग–02 के कार्मिकों से तुलना के दृष्टिगत रखते हुए इनका भी ग्रेड वेतन 2800 से उच्चीकृत कर ग्रेड वेतन 4200 कर दिया जाय।

इसी प्रकार ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक अधीनस्थ सेवा वर्ग–01 जिनका ग्रेड वेतन 4200 है, उसे उच्चीकृत कर ग्रेड वेतन 4600 किये जाने के सम्बन्ध में अन्य संवर्गों से तुलना की गई है, जो निम्न प्रकार हैः–

पदनाम	वेतनमान	भर्ती का स्रोत	शैक्षिक योग्यता
सहायक कृषि अधिकारी (वर्ग–1)	रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4600	पदोन्नति	कृषि स्नातक
क्षेत्रीय प्रसार अधिकारी (पशुपालन विभाग)	रू0 9300–34800 रू0 4600	पदोन्नति	बी0एस0सी0
वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक	रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4600	पदोन्नति	स्नातक
वरिष्ठ विपणन निरीक्षक	रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4600	पदोन्नति	स्नातक
वरिष्ठ बाट माप निरीक्षक	रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4600	पदोन्नति	स्नातक
अपर सांख्यिकी अधिकारी (सहायक संख्या निरीक्षक वर्ग–01)	रू0 9300–34800 ग्रेड पे 4600	पदोन्नति	स्नातक

उपरोक्त तालिका के अनुसार अपनी मांग के आधार पर यह कहा गया है कि ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक का भी ग्रेड पे 4200 से उच्चीकृत कर ग्रेड पे 4600 कर दिया जाय।

अपने मांग पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि विभिन्न राज्यों यथा बिहार, तमिलनाडू, राजस्थान आदि में ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक व मत्स्य निरीक्षक को उत्तराखण्ड में दिये जाने वाले ग्रेड पे से अधिक दिया जा रहा है।

समता समिति के सिद्धांत के अनुसार एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना नहीं की जा सकती तथा अन्य राज्यों में दिये जा रहे वेतन बैण्ड एवं ग्रेड पे से भी तुलना किये जाने का कोई आधार नहीं है। अतः उपरोक्त प्रकरण वेतन विसंगति के अंतर्गत विचारणीय नहीं है।

13–वन विभाग

संवर्ग : स्केलर, वन विकास निगम

उत्तराखण्ड वन विकास निगम व वित्त विभाग के पत्र संख्या 211/XXVII(7) 50(16)/2016 दिनांक 16 सितम्बर, 2016 के माध्यम स्केलर पद का ग्रेड वेतन 1900 से ग्रेड पे 2000 किये जाने का प्रकरण समिति को संदर्भित किया गया है। उत्तराखण्ड वन विकास निगम स्केलर संघ द्वारा यह कहा गया है कि शासन से वर्तमान में स्वीकृत ढांचे (शासनादेश दिनांक 24.8.2016) में निगम में कार्यरत स्केलर संवर्ग के कार्मिकों को समान वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। यह उल्लेख किया है कि संघ द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित ढांचे के विपरीत शासन से ढांचा स्वीकृत हुआ है तथा समस्त वर्ग ग संवर्गों का ग्रेड वेतन 2000 अनुमन्य किया है परन्तु स्केलर संवर्ग को वंचित रखा गया है। यह भी कहा है कि उत्तराखण्ड राज्य का गठन 9.11.2000 को हुआ है परन्तु उत्तराखण्ड वन विकास निगम की स्थापना राज्य में 01 अप्रैल 2001 को हुई है और इस बिन्दु के आधार पर कहा है कि नवम्बर 2000 से 31.3.2001 तक के काल खण्ड में निगम के समस्त कार्मिक पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश वन निगम में कार्मिक रहे हैं व शासित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में शासन द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 23.2.2001 एवं उ0प्र0 वन निगम में कार्यालय आदेश दिनांक 24.2.2001 से सहायक लौंगिंग अधिकारी (वेतनमान 4500–7000) व उप लौंगिंग अधिकारी (वेतनमान 5000–8000) का सविलियन कर एक ही संवर्ग उप लौंगिंग अधिकारी वेतनमान 5000–8000 किया गया। उत्तराखण्ड वन निगम ने भी प्रबंध मण्डल द्वारा इन दोनों पदों के सविलियन को पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 73 व 74 के आलोक में सही मानकर निगम का कार्यालय आदेश दिनांक 25.4.2005 जारी किया गया। वर्ष 2010 में निगम में समयमान वेतनमान की व्यवस्था लागू होने पर प्रबंध निदेशक ने शासन से उक्त दो पदों के सविलियन के परिप्रेक्ष्य में समयमान वेतनमान के निर्धारण के सम्बन्ध में निर्देश मांगे गये जिस पर भी शासन द्वारा संविलियन को यथावत माना गया है। स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग, देहरादून के लेखा परीक्षा अधिकारी से भी इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराई जाने की स्थिति कही गई है। समस्त कार्मिकों को उ0प्र0 वन निगम से हस्तान्तरित कार्मिक बताया है और उ0प्र0 वन निगम की सेवा नियमावली ही वर्तमान तक लागू कही है। वर्ष 2007 में प्रबंध निदेशक द्वारा निजी स्वार्थों के चलते गुप–चुप ढंग से वन निगम के ढांचे में सहायक लौंगिंग अधिकारी पद करवा लेने से स्केलर संवर्ग के हित प्रभावित होना इंगित किया है और सहायक लौंगिंग अधिकारी पद सृजन करने को न्याय संगत नहीं कहा है। ग्रेड वेतन 4800 से न्यून वाले कार्मिकों के लिए ए0सी0पी0 में पदोन्नति का पद होने पर 10, 16, 26 वर्ष पर अगले प्रोन्नत पद का वेतनमान अनुमन्य होने के प्राविधान होने की स्थिति में बीच में सहायक लौंगिंग अधिकारी का पद सृजित हो जाने से स्केलर संवर्ग के कार्मिकों को एक समान वेतनमान प्राप्त न होने की स्थिति इंगित की गई है और इसे दूर करने की मांग की गई है। संघ द्वारा यह भी

इंगित किया है कि वर्ग 'ग' को समस्त संवर्गों में रू0 2000 ग्रेड वेतन स्वीकृत किया है व स्केलर संवर्ग को वंचित रखा गया है।

उल्लेखनीय यह भी है कि शासनादेश दिनांक 5.6.2007 एवं पुनः शासनादेश दिनांक 24.8.2016 में निगम में निम्नांकित पद स्वीकृत हैं –

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	
		2007	2016
1.	स्केलर	2610–3540	5200–20200 ग्रेड वेतन 1900
2.	लौंगिंग सहायक	3050–4590	5200–20200 ग्रेड वेतन 2000
3.	सहायक लौंगिंग अधिकारी	4500–7000	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800
4.	उप लौगिंग अधिकारी	5000–8000	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200
5.	लौंगिंग अधिकारी	8000–13500	15600–39100 ग्रेड वेतन 5400

इस प्रकार मामले में मुख्यतः दो मांग बिन्दु निहित हैं – पहला स्केलर का ग्रेड वेतन 1900 से वर्ग 'ग' के अन्य विभागों के समान ग्रेड वेतन 2000 में उच्चीकरण एवं दूसरा सहायक लौंगिंग अधिकारी पद का उप लौंगिंग अधिकारी पद में संविलियन किया जाना।

अपुष्ट रूप से इंगित किया गया कि उ0प्र0 में कदाचित स्केलर का ग्रेड वेतन 1800 है। अभिलेखों के अनुसार स्केलर का पद पूर्व में समूह "घ" का पद था। उत्तराखण्ड में वन विकास निगम के गठन के समय भी यह पद समूह "घ" का ग्रेड वेतन 1400 का था। उत्तराखण्ड राज्य के वेतन विसंगति समिति के 15 वें प्रतिवेदन में इस पद को समूह "ग" का पद बनाकर इसकी शैक्षिक योग्यात इन्टरमिडिएट निर्धारित करने की संस्तुति के साथ इस पद का वेतनमान ग्रेड पे 1400 से उच्चीकृत करके ग्रेड पे 1900 किये जाने की संस्तुति के फलस्वरूप इस पद का ग्रेड वेतन वर्तमान में 1900 है। समूह "ग" के सीधी भर्ती के प्रथम पद का ग्रेड वेतन 1900 ही है जो केन्द्र के समान है, जो केन्द्र से राज्य के वेतनमानों की पैरिटी के सिद्वान्त के अनुरूप सही है।

सहायक लौंगिंग अधिकारी पद का संविलियन उप लौंगिंग अधिकारी पद में किये जाने का प्रकरण भी समिति के कार्य क्षेत्र में नहीं है। वन विकास निगम के लौंगिंग संवर्ग के जिन पदधारकों, पदों एवं वेतनमानों की जो प्रास्थिति उत्तराखण्ड में निगम के गठन की तिथि के ठीक पूर्व दिवस को रही है उनका तथा उन पदधारको (सहायक लौंगिंग अधिकारी का उप लौंगिंग अधिकारी के पद पर संविलयन के उपरान्त उप लौंगिंग अधिकारी पदधारक) का नये पुनर्गठित ढांचे के संदर्भ में अग्रेतर पदोन्नति अथवा ए0सी0पी0 की स्थिति में क्या पद/वेतनमान होगा, का प्रकरण वित्त विभाग के परीक्षण एवं परामर्श का है। अतः समिति की

संस्तुति है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकरण का यथोचित परीक्षण कराके समुचित निर्णय लिया जाना उचित होगा।

संवर्ग : वन आरक्षी, वन दरोगा, वन क्षेत्राधिकारी

उत्तराखण्ड वन आरक्षी/वन बीट अधिकारी संघ द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि वन विभाग में फील्ड कर्मियों यथा वन आरक्षी, वन दरोगा व वन क्षेत्राधिकारी को छठे वेतन आयोग में पुलिस विभाग के आरक्षी, उप निरीक्षक, निरीक्षक पद के समतुल्य मानते हुए वेतन का निर्धारण किया गया था, जिसके फलस्वरूप वन आरक्षी को ग्रेड वेतन 1900, वन दरोगा को ग्रेड वेतन 2800 तथा वन क्षेत्राधिकारी को ग्रेड वेतन 4800 अनुमन्य कराया गया। कालान्तर में पुलिस आरक्षी के समतुल्य वन आरक्षी को ग्रेड वेतन 2000 अनुमन्य किया गया है। पुलिस आरक्षी को यह लाभ वर्ष 2006 से दिये जाने के आधार पर वन आरक्षी को भी वर्ष 2006 से लाभ देने की अपेक्षा की गई है। इसी प्रकार पुलिस उप निरीक्षक का ग्रेड वेतन 2800 से 4600 हो जाने के आधार पर वन दरोगा का ग्रेड वेतन 2800 से 4600 करने की भी अपेक्षा की है।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 648 दिनांक 14 मार्च, 2016 की उपलब्ध छायाप्रति में वन विभाग के वन रक्षक को पुलिस विभाग के कान्स्टेबल के समान वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2000 शासनादेश जारी होने की तिथि से अनुमन्य किया गया है और शैक्षिक योग्यता में भी वृद्धि की गई है (सेवा नियमावली में इस हेतु संशोधन करने के निर्देश सहित)। यह अवलोकनीय है कि कदाचित वन विभाग में वन आरक्षी, वन दरोगा, उप वन क्षेत्राधिकारी तथा वन क्षेत्राधिकारी के पद हैं जबकि पुलिस में आरक्षी, प्रधान आरक्षी, उप निरीक्षक व निरीक्षक पद हैं। यदि इस दृष्टि से देखा जाय तो वन रक्षक से उच्च पद वन दरोगा है और इस दृष्टि से यह पद पुलिस विभाग में हैड कान्स्टेबल की तरह एक स्तर उच्च पद है। यहां यह अवलोकनीय है कि समता समिति द्वारा प्रतिपादित व राज्य में लागू सिद्धांत अनुसार एक संवर्ग की दूसरे संवर्ग से तुलना मान्य नहीं है। उच्चीकृत वेतन का लाभ पिछली तिथि से देने का प्रकरण वेतन विसंगति का बिन्दु नहीं है और वन दरोगा का वेतन उच्चीकरण प्रकरण भी वेतन विसंगति का नहीं है। उच्चीकृत वेतन का लाभ पिछली तिथि से देने एवं पद विशेष का वेतन उच्चीकृत करने सम्बन्धी कार्य समिति की संदर्भ शर्तों में आच्छादित नहीं होने से दोनों बिन्दु विचारणीय नहीं है। उल्लेखनीय है कि एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना मान्य नहीं है।

संवर्ग : चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वन विकास निगम

वित्त विभाग के पत्र संख्या 211/XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक 16 सितम्बर, 2016 के साथ उत्तराखण्ड वन विकास निगम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठन के संलग्न पत्र संख्या 07/दिनांक 12–09–2016 पर वन विकास निगम के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का प्रकरण

संदर्भित किया गया है। अवगत कराया गया है कि पूर्व वेतनमान 2780–60–3650 की छठे वेतनमान में फीटमेंट तालिका उपलब्ध नहीं है, अतः फिटमैन्ट तालिका उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण इंगित किया गया है। उत्तराखण्ड वन विकास निगम चतुर्थ कर्मचारी संगठन द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में इंगित किया है कि निगम में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को 15 वर्ष की सेवा पर रू0 2780–3650 सलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किया गया है एवं कि षष्टम वेतनमान की फिटमैन्ट तालिका में वेतनमान रू0 2780–3650 की तालिका न होने के कारण रू0 2750 पर वेतन निर्धारित किया गया है जिसके कारण वेतन बैण्ड में रू0 30 की हानि हो रही है। इस आधार पर सलेक्शन ग्रेड वेतनमान 2780–3650 निर्धारित करने की मांग की गई है।

इंगित प्रकरण वेतन विसंगति से सम्बन्धित नहीं है। छठवें केन्द्रीय वेतनमान की संस्तुति में पुनरीक्षित वेतनमान में 2780–3650 के वेतनमान की फिटमेन्ट तालिका उपलब्ध कराने का है। राज्य सरकार के विभागों में चतुर्थ श्रेणी सवंर्ग के लिए वेतनामन 2780–3650 वेतनमान विद्यमान नहीं है, इस लिए इसकी फिटमेन्ट तालिका उपलब्ध नहीं है। अतः वन विकास निगम वेतनामन 2780–3650 की फिटमेन्ट तालिका के संम्बन्ध में राज्य सरकार परीक्षण कराके यथा उचित निर्णय ले सकती है।

14–ग्राम्य विकास विभाग

संवर्ग : ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम विकास अधिकारी का वेतन बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे 2400 है जिसे उच्चीकृत कर ग्रेड पे 2800 कर दिया जाय। विभाग से प्रारूप पर प्राप्त सूचना अनुसार यह पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाता है तथा सेवा नियमावली 2011 के अनुसार पद की अर्हता विज्ञान या कृषि विषय के साथ इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण तथा कम्प्यूटर का कार्यालय में उपयोग का ज्ञान आवश्यक है।

ग्रेड पे रू0 2400 से रू0 2800 उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में एसोसिएशन द्वारा यह आधार दिया गया है कि ग्राम विकास अधिकारी, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी, लेखपाल, पशुधन प्रसार अधिकारी के पद समतुल्य हैं, पूर्व में इन पदों के वेतनमान समान थे। यह भी कहा है कि 1952 से जिन संवर्गों के वेतनमान ग्राम विकास अधिकारी से कम या बराबर थे उन सभी के वेतनमान उच्चीकृत हो चुके हैं।

वर्णित प्रकरण ग्राम विकास अधिकारी पद का वेतनमान उच्चीकृत करने की मांग का है। वेतन विसंगति समिति के 20 वें प्रतिवेदन में ग्राम्य विकास अधिकारी का वेतन ग्रेड पे 2000/–से ग्रेड पे 2400 में इस शर्त के साथ उच्चीकृत करने की संस्तुति की गयी कि सीधी भर्ती आयोग के माध्यम से की जाय तथा शैक्षिक अर्हता कृषि/विज्ञान /अर्थशास्त्र/कामर्स में स्नातक उपाधि एवं कम्प्यूटर संचालन में सीसीसी लेबिल का प्रमाण पत्र रखा जाय। 27 वें प्रतिवेदन में इस पद का ग्रेड वेतन 4200/–किये जाने के प्रस्ताव को औचित्यपूर्ण नहीं पाये जाने पर अस्वीकार किया गया है। उल्लेखनीय है कि समता समिति के सिद्धांत अनुसार एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना/समतुल्यता की जा सकती है, अतः इस कारण यह विचारणीय नहीं है।

संवर्ग : सहायक खण्ड विकास अधिकारी

ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन, उत्तराखण्ड द्वारा अनुरोध किया गया है कि सहायक खण्ड विकास अधिकारी, वेतन बैण्ड 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 को ग्रेड वेतन 4200 में उच्चीकृत कर दिया जाय।

अपर आयुक्त ग्राम विकास द्वारा अवगत कराया गया है कि सहायक खण्ड विकास अधिकारी के पद पर शत–प्रतिशत सीधी भर्ती के ग्राम विकास अधिकारी से पदोन्नत द्वारा भरा जाता है। वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी का ग्रेड वेतन रू0 2400 है तथा सहायक खण्ड विकास अधिकारी का ग्रेड वेतन 2800 है। अन्य संवर्ग जिससे तुलना की गई है उसमें अर्थ एवं संख्या विभाग में सहायक विकास अधिकारी (सां)/अर्थ एवं संख्या निरीक्षक के पद हैं जिनका वेतन बैण्ड 9300–34800 ग्रेड पे 4200 उच्चीकृत किया गया है। ये पद

सीधी भर्ती के माध्यम से तथा 20 प्रतिशत पदों पर ग्राम विकास अधिकारियों से पदोन्नत द्वारा भरे जाते हैं।

एसोसिएशन द्वारा यह बताया गया कि सहायक खण्ड विकास अधिकारी विकासखण्ड स्तर पर समस्त कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, मूल्यांकन व पर्यवेक्षण करता है तथा खण्ड विकास अधिकारी की अनुपलब्धता में खण्ड विकास अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन सहायक खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है। यह भी कहा गया है कि सहायक खण्ड विकास अधिकारी लगभग 25–30 वर्ष की सेवा के पश्चात पदोन्नति पाते हैं। विकासखण्ड में ही कार्यरत सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकी) से सहायक खण्ड विकास अधिकारी कम वेतन पाते हैं।

विभाग से निर्धारित प्रारूप पर तैयार की गई सूचना अनुसार सहायक खण्ड विकास अधिकारी के वेतन उच्चीकरण हेतु अर्थ एवं संख्या विभाग में सहायक विकास अधिकारी (स)/अर्थ एवं संख्या निरीक्षक से तुलना इंगित की गई है। इंगित सूचना अनुसार सहायक खण्ड विकास अधिकारी पद पर भर्ती शत प्रतिशत पदोन्नति से होती है तथा अर्थ एवं संख्या विभाग में सहायक विकास अधिकारी (स)/अर्थ एवं संख्या निरीक्षक (वेतन बैण्ड 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200) की शैक्षिक योग्यता स्नातक है एवं भर्ती का स्रोत सीधी भर्ती और 20 प्रतिशत पदों पर ग्राम विकास अधिकारियों से पदोन्नति द्वारा होने की व्यवस्था है।

वर्णित स्थिति अनुसार अर्थ एवं संख्या विभाग में सहायक विकास अधिकारी (स) पद एवं ग्राम विकास विभाग में सहायक खण्ड विकास अधिकारी पद के मध्य कोई समतुल्यता नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि समता समिति के सिद्धांत अनुसार एक संवर्ग की दूसारे संवर्ग से समतुल्यता/तुलना नहीं की जा सकती है। प्रकरण वेतन विसंगति का नहीं अपितु वेतनमान उच्चीकरण का है तदानुसार यह प्रकरण विचारणीय नहीं है।

संवर्ग : ग्राम्य विकास विभाग के 'गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ' के विभिन्न पद

डी0आर0डी0ए0 इम्प्लाईज यूनियन (उत्तराखण्ड) द्वारा वर्णित प्रकोष्ठ के निम्नलिखित वेतन विसंगति प्रकरण इंगित कर समिति को प्रत्यावेदन विचारार्थ प्रस्तुत किया है–

क्रमांक	संवर्ग	पदनाम	वेतनमान	प्रस्तावित वेतनमान
1	सांख्यकीय	संख्या सहायक	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	9300–34800 ग्रेड वेतन 4600
2	तकनीकी	कनिष्ठ अभियंता	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	9300–34800 ग्रेड वेतन 4600
3	तकनीकी	मानचित्रकार	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200

संख्या सहायक पद के वेतन उच्चीकरण विषयक मांग के सम्बन्ध में यह इंगित किया गया है कि सांख्यकीय सेवा संवर्ग में संख्या सहायक पद का वेतनमान 5000–8000 के स्थान पर 5500–9000 दिनांक 01.04.2001 से अनुमन्य किया गया है तथा 01.01.2006 से वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200 के स्थान पर ग्रेड वेतन रू0 4600 अनुमन्य किया गया है। कनिष्ठ अभियन्ता पद के वेतन उच्चीकरण विषयक मांग के सम्बन्ध में कहा है कि प्रदेश के अवर अभियन्ताओं को दिनांक 01.04.2001 से वेतनमान 4500–7000 के स्थान पर 5000–8000 तथा 01.03.2013 से वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 अनुमन्य किया गया है। इसी प्रकार मानचित्रकार पद के वेतन उच्चीकरण की मांग के सम्बन्ध में कहा है कि शासनादेश संख्या 109/(7)2006 दिनांक 29.06.2006 द्वारा वेतनमान 1200–2040के सभी पदों का वेतनमान पुनरीक्षित कर दिनांक 1–1–1986 से 1350–2200 एवं पुनः 01.01.1996 से 4500–7000 अनुमन्य किया गया है। इन पदों के वेतनमान उच्चीकरण के सम्बन्ध में दिये गये आधारों में इंगित शासनादेशों की निम्नवत् छायाप्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं :–

1. वित्त अनुभाग–4 का शासनादेश दिनांक 384/XXVII(4)/2004 दिनांक 01.11.2004
2. नियोजन विभाग का शासनादेश संख्या 533/69(2003)–XXVI/2004 दिनांक 29.01.2006
3. वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 का शासनादेश 874/XXVII(7)न0प्रति0/2011 दिनांक 08 मार्च, 2011
4. वित्त अनुभाग–3 का शासनादेश संख्या 695/वि0अनु0–3/2003 दिनांक 11 फरवरी, 2013
5. लघु सिंचाई अनुभाग का शासनादेश संख्या 936/–2013–09(05)/2007 टी0सी0–1 दिनांक 17.10.2013
6. वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 का शासनादेश संख्या 109/XXVII(7)/2006 दिनांक 29 जून, 2006

उल्लेखनीय है कि राज्य में एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना का सिद्धान्त मान्य नहीं है परन्तु सांख्यकीय संवर्ग के पद, कनिष्ठ अभियन्ता आदि कतिपय पदों के सम्बन्ध में सभी विभागों में समान वेतन अनुमन्य करने की व्यवस्था बनायी गयी है। ऐसी दशा में सभी पहलुओं का परीक्षण करते हुए ऐसे पदों के वेतनमान उच्चीकरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार विचार कर सकती है। कनिष्ठ अभियन्ता के सम्बन्ध में राज्य में केंद्र सरकार में अनुमन्य

वेतनमान के स्थान पर भिन्न वेतनमान अनुमन्य होने की स्थिति समिति के संज्ञान में आई है जिस पर यद्यपि टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, तथापि समता समिति द्वारा चिन्हित पदों की केंद्र से समकक्षता सम्बन्धी व्यवस्था से हुए विचलनों के सम्बन्ध में राज्य सरकार समीक्षा करने पर विचार कर सकती है।